संशोधन आदेश

संख्या- 42 /2016 / 264 / चार-2016-22(बजट)/2014

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्ला खॉ के मकबरे स्थल के विकास हेतु के शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3255/ सं0नि0-6(83)/2014-15 दिनांक 23 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-10/2016/4068/चार-2015-22(बजट)/2014 दिनांक 21 जनवरी, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-10/2016/4068/चार-2015-22(बजट)/2014 दिनांक 21 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3 में लेखाशीर्षक में टंकक त्रुटिवंश 04-कला एवं संस्कृति छूट गया है, जिसे अब निम्नवत् पढा जाय:-

" अनुदान संख्या-92- आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय- 04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय-28- भारत रत्न स्व0 उस्ताद बिस्मिल्लाह खॉ के मकबरा स्थल का विकास -24-वृहत् निर्माण कार्य मद पढा जाय।"

उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में नियम एवं शर्ते यथावत रहेगी।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या 42 /2016 / 264 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहाकारी संघ लि0 लखनऊ।
5- परियोजना प्रबन्धक, निर्माण प्रखण्ड -1, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 वाराणसी।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।